



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276344
CG-DL-E-21092026-276344

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 19, 2026/भाद्र 28, 1948

No. 259]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 19, 2026/BHADRA 28, 1948

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2026

फा. सं. 2-3/2012-टीसीओ (भाग).—जबकि भारत सरकार ने संकल्प संख्या 15/1/2/87-मंत्रि., दिनांक 11 अप्रैल, 1989 के तहत, दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं के निपटान के लिए दूरसंचार आयोग की स्थापना की थी:

और जबकि उक्त आयोग को संकल्प संख्या 2-14/2018-नीति-1, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 के तहत डिजिटल संचार आयोग के रूप में पुनः पदनामित किया गया था:

और जबकि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि डिजिटल संचार आयोग को भंग कर दिया जाए:

अतः, अब, इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से, डिजिटल संचार आयोग भंग हो जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया गया है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और अन्य संबंधित मंत्रालयों को संसूचित की जाए।

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2026

F. No. 2-3/2012-TCO (Pt.). — Whereas the Government of India, *vide* Resolution No. 15/1/2/87-Cab., dated 11th April, 1989, established the Telecom Commission to deal with various aspects relating to the telecommunications sector:

And whereas the said Commission was re-designated as the Digital Communications Commission *vide* Resolution No. 2-14/2018-Policy-I, dated 22nd October, 2018:

And whereas the Government of India has decided that the Digital Communications Commission be dissolved:

Now, therefore, with effect from the date of publication of this Resolution, the Digital Communications Commission shall stand dissolved.

ORDER

Ordered that this Resolution be published in the Gazette of India, Extraordinary.

Ordered also that a copy of this Resolution be communicated to all the Ministries of the Government of India and others concerned.

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.